जन सुनवाई कार्यवाही विवरण

मैसर्स श्री सिंधोलिया माताजी ग्रेनाईट्स, प्रस्तावित खनन परियोजना (ग्रेनाईट) के खनन की क्लस्टर मय खनन परियोजना का रेफेरेन्स नम्बर 20231000084574, क्षेत्रफल 1.002 हैक्टेयर, उत्पादन क्षमता 147336 टन प्रतिवर्ष एवं क्लस्टर का कुल क्षेत्रफल 13.1090 हैक्टेयर के खसरा नम्बर 194/09 एवं 194/13 निकट ग्राम– रुपाहेली, तहसील मालपुरा, जिला टोंक (राजस्थान) में पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु उपखण्ड़ अधिकारी, मालपुरा, जिला टोंक की अध्यक्षता मे दिनांक 15.10.2024 को दोपहरः 12:30 बजे पंचायत समिति मालपुरा, तहसील मालपुरा, जिला टोंक (राजस्थान) में आयोजित जन सुनवाई की कार्यवाही **(Minutes)** का विवरण–

वन एवं पर्यावरण मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जारी पर्यावरणीय प्रभाव आंकलन अधिसुचना दिनांक 14.09.2006 के अनुसरण में कार्यालय जिला कलेक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट, टोंक के पत्र क्रमांक न्याय/पर्यावरण जनसुनवाई/2024/7986 दिनांक 21.08.2024 एवं क्षेत्रिय कार्यालय, राजस्थान प्रदुषण नियंत्रण मण्डल, बूंदी के पत्र क्रमांक राप्रनिम/आरओ–बूंदी/पी.यू.बी.-119/902–908 दिनांक 21.08.2024 के अनुपालना में मैसर्स श्री सिंधोलिया माताजी ग्रेनाईट्स, प्रस्तावित खनन परियोजना (ग्रेनाईट) के खनन की क्लस्टर मय खनन परियोजना का रेफेरेन्स नम्बर 20231000084574, क्षेत्रफल 1.002 हैक्टेयर, उत्पादन क्षमता 147336 टन प्रतिवर्ष एवं क्लस्टर का कुल क्षेत्रफल 13.1090 हैक्टेयर के खसरा नम्बर 194/09 एवं 194/13 निकट ग्राम– रुपाहेली, तहसील मालपुरा, जिला टोंक (राजस्थान) के खनन से सम्बन्धित जन सुनवाई दिनांक 15.10.2024 को आयोजित की गई। कार्यालय जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट के पत्र क्रमांक न्याय/पर्यावरण जनसुनवाई/2024/11933 दिनांक 14.10.2024 के संशोधित आदेश द्वारा उपखण्ड़ अधिकारी, मालपुरा, तहसील मालपुरा, जिला टोंक को उक्त जनसुनवाई हेतु अधिकृत किया गया।

सुनवाई मे उपस्थित सभी व्यक्तियो का विवरण मय हस्ताक्षर **परिशिष्ट संख्या 01** पर संलग्न है। जन सुनवाई की आम सूचना समाचार पत्र **ताज भारती** के संस्करण में दिनांक 13.09.2024 एवं द **इण्डीयन एक्सप्रेस** के संस्करण में दिनांक 12.09.2024 को प्रकाशित की गई थी जिसकी प्रति **परिशिष्ट संख्या 02** पर संलग्न है।

उपखण्ड़ अधिकारी
मालपुरा (टोंक)

जन सुनवाई के प्रारम्भ मे राजस्थान राज्य प्रदुषण नियंत्रण मण्डल के क्षेत्रीय अधिकारी श्रीमती सविता ने सभी आंगतुको का स्वागत किया। तत्पश्चात् श्रीमान् अमित चौधरी, उपखण्ड अधिकारी मालपुरा, तहसील टोंक, जिला टोंक की अनुमति से जन सुनवाई प्रारम्भ की गई।

श्रीमती सविता, क्षेत्रीय अधिकारी, राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल, बूंदी ने जन सुनवाई के प्रावधान, उदेदश्य एवं महत्त्व तथा प्रस्तावित परियोजना के बारे में जानकारी दी एवं परियोजना के बारे में विस्तृत जानकारी देने हेतु पर्यावरणीय सलाहकार को जनसुनवाई के दौरान उपस्थित अधिकारियों एवं ग्रामवासियों/व्यक्तियों को प्रस्तावित खनन परियोजना के बारे में विस्तार से अवगत कराने बाबत आमंत्रित किया।

परियोजना प्रबंधक की ओर से खनन परियोजना के पर्यावरणीय सलाहकार वितास्ता एनवायरो सर्विसेज प्राईवेट लिमिटेड़ की तकनीकी सलाहकार श्रीमान सुनिल यादव के माध्यम से जन सुनवाई के दौरान उपस्थित अधिकारियों एवं ग्रामवासियों/जनसमुह को विस्तृत जानकारी दी। खनन मय क्लस्टर की प्रस्तावित परियोजना की मुख्य विशेषताएं, कुल उत्पादन क्षमता, खनन योग्य खनिज भण्डार, खनन विधि, खान की आयु, अध्ययन क्षेत्र का विवरण, टोपोग्राफी, खनन से होने वाले संभावित पर्यावरणीय प्रभाव और न्यूनीकरण उपाय, पर्यावरण संरक्षण के उपाय, पर्यावरण प्रबंधन के साथ हरित पट्टी का विकास, व्यवसयिक स्वास्थ्य एवं सुरक्षा श्रमिक कल्याण हेतु प्रस्तावित कार्य एवं कोर्पोरेट सामाजिक जिम्मेदारी (सी.एस.आर.) के सम्बन्ध में भी जानकारी दी गई।

श्रीमती सविता, क्षेत्रीय कार्यालय, राजस्थान राज्य प्रदुषण नियंत्रण मण्डल, बूंदी एवं श्रीमान् अमित चौधरी, उपखण्ड़ अधिकारी मालपुरा, जिला टोंक की ओर से जन सुनवाई मे उपस्थित ग्राम वासियों/जनसमूह को अपने विचार/आपत्ति सुझाव प्रकट करने के लिए आमंत्रित किया गया। क्षेत्रीय अधिकारी द्वारा गांव वालों को खान से कोई आपत्ति के बारे में पुछा तथा बताया की अगर कोई समस्या हो तो आप लिखित में भी अपना सुझाव दे सकते है।

अंत मे ग्रामवासी/जनसमुदाय ने खान के बारे में कोई आपत्ति नहीं होना बताया।

जन सुनवाई से पहले, दौरान एवं जनसुनवाई के पश्चात् उक्त परियोजना से संबंधित कोई भी सुझाव/अभ्यावेदन/प्रार्थना पत्र लिखित में प्राप्त नही हुए है।

Savita

उपखण्ड अधिकारी
मालपुरा (टोंक)

Scanned with OKEN Scanner

त में श्रीमान् अमित चौधरी, उपखण्ड़ अधिकारी मालपुरा, जिला टोंक की अनुमति से श्रीमती सविता, क्षेत्रीय कार्यालय, राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल, बूंदी द्वारा उपस्थित ग्रामवासियों / जनसमूह को शांति एवं संयम पूर्वक अपनी बात कहने, जन सुनवाई मे भाग लेने हेतु हार्दिक आभार व्यक्त करते हुए जन सुनवाई समाप्ति की घोषणा की गई।

जन सुनवाई की विडियो रिकॉर्डिंग व सी.डी. संलग्न है।

अमित चौधरी
उपखण्ड़ अधिकारी,
मालपुरा, टोंक (राज.)
उपखण्ड अधिकारी
मालपुरा (टोंक)

सविता
क्षेत्रीय अधिकारी,
रा.प्र.नि.मं., बूंदी (राज)
क्षेत्रीय अधिकारी
राज. प्रदूषण नियंत्रण मण्डल
बून्दी (राज.)

Scanned with OKEN Scanner

उपस्थिति पत्रक

मैसर्स श्री सिधोंलिया माताजी ग्रेनाइट, रेफेरेन्स संख्या 20231000084574, खसरा सं. 194/09 एवं 194/13, क्षेत्रफल– 1.0002 हैक्टेयर, उत्पादन क्षमता–1,47,336 TPA (ROM), निकट ग्राम–रूपाहेली तहसील– मालपुरा, जिला– टोंक, की प्रस्तावित ग्रेनाइट खनन परियोजना के सम्बन्ध में पर्यावरणीय सुनवाई :–

स्थान :– पंचायत समिति सभागार, मालपुरा, जिला टोंक (राज0)

दिनांक :– 15.10.2024

समय :– दोपहरः 12:30 बजे से

क्र. स.	नाम व पता	हस्ताक्षर
1.	~~Ronak Goyal~~ (Jai Amit Choudhary SDM	[signature]
2.	Savita, Ro, RSPCB, Bundi	Savita
3.	Rohitash Balai, AEE, RPCB, Bundi	[signature]
4.	Ronak Goyal	Ronak
5.	Jaiprakash Amir	[signature]
6.	ओ जे श्री पानवत	[signature]
7.	लक्ष्मण प्रजापत लाम्बाहरिसिंह	लक्ष्मण
8.	सुरेश शर्मा मदनगंज किशनगढ़	[signature]
9.	राजाराम S/o अमराराम रूपाहेली	राजाराम
10.	प्रेमनारायण चौधरी S/o श्री रामनारायण कनोतिया	[signature]
11.	अ० हमीद S/o अ० शकूर हाथोली	अ० हमीद
12.	मोहम्मद नासिर S/o अ. शकूर हाथोली	[signature]
13.	गोरधनसिंह S/o छितरसिंह जी रूपाहेली	गोरधनसिंह
14.	दिग्विजयसिंह S/o नरपत सिंह डूंगरगाँव	दिग्विजयसिंह

Scanned with OKEN Scanner

	नाम व पता	हस्ताक्षर
	नसरुद्दीन S/o अल्लादीन खां ग्राम हाथली	नसरुद्दीन
16.	नानू	नानू
17.	लालाराम	लालाराम
18.	प्रधान [illegible] ग्राम हाथली	प्रधान [illegible]
19.	हेमराज जाट [illegible]	हेमराज
20.	हरिनारायण [illegible]	हरिनारायण
21.	अंकित नाथ	अंकित नाथ
22.	रघुनाथ सिंह गुर्जर	रघुनाथ सिंह
23.	लोकेश [illegible]	लोकेश
24.	गणेश योगी	गणेश
25.	विकास	विकास
26.	सुरेश गुर्जर	सुरेश
27.	नरेन्द्र भास्कर	[illegible]
28.	नियाज मोहम्मद	[illegible]
29.	[illegible] Gadasu	[illegible]
30.	Sumit Yadav UESPL, Jaipur	Sumit
31.		
32.		
33.		
34.		

क्षेत्रीय कार्यालय राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल
प्लॉट नं डी-15, ईश्वरी फ्रूट गार्डन के पास, न्यू कॉलोनी,
बूंदी ई-मेल: rorpcb.bundi@gmail.com

Date:22.08.2024

BUNDI/PUB-119/902

पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु लोक सुनवाई के लिए आम सूचना

: मैसर्स श्री सिंघोलिया माताजी ग्रेनाइट रेफरेंस संख्या 20231000084574, निकट ग्राम रूपाहेली, सील मालपुरा, जिला टोंक द्वारा प्रस्तावित ग्रेनाइट स्टोन माइनिंग परियोजना हेतु पर्यावरण स्वीकृति के लिए लोक सुनवाई।

1. सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि ग्रेनाइट स्टोन माइनिंग प्रोजेक्ट (रेफरेस संख्या 20231000084574), कुल क्लस्टर क्षेत्र 13.1090 हेक्टेयर, ''आवेदक मैसर्स श्री सिंघोलिया माताजी ग्रेनाइट द्वारा प्रस्तावित ग्रेनाइट स्टोन माइनिंग परियोजना है जिसका खनन क्षेत्र 1.002 हैक्टयर है तथा प्रस्तावित उत्पादन क्षमता 147336 टीपीए (रोम), जो कि रेफरेंस संख्या 20231000084574, निकट ग्राम रूपाहेली, तहसील मालपुरा, जिला टोंक में स्थित है से संबंधित प्रार्थना पत्र मय दस्तावेज पर्यावरणीय स्वीकृति से पूर्व आवश्यक समूह खनन परियोजना लोक सुनवाई हेतु हेतु प्रस्ताव राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल (यहाँ तथा बाद में मण्डल के नाम से अभिलिखित) को प्रस्तुत किया गया है।

2. और चूंकि मैसर्स श्री सिंघोलिया माताजी ग्रेनाइट, ने राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल को उक्त परियोजना की पर्यावरणीय स्वीकुति से पूर्व आवश्यक समूह खनन परियोजना की लोक सुनवाई हेतु मण्डल को आवेदन प्रस्तुत किया है। उक्तपरियोजना हेतु वन एवं पर्यावरण मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली द्वारा जारी अधिसूचना संख्या एस. ओ.1533 दिनांक 14.09.2006 ओर एस.ओ. 141 ई दिनांक 15.01.2016 के प्रावधानों के अनुसरण में जन सुनवाई हेतु इस आशय की सूचना जारी कर 30 दिवस का नोटिस दिया जाना आवश्यक है।

3.उक्तपरियोजना से सम्बंधित संक्षिप्त अभिलेख (कार्यकारी सारांश) एवं संक्षिलप कार्यपालक भार अभिलेख निम्न कार्यालयों में अवलोक नार्थ उपलब्ध है.

1. जिला कलक्टर, टोंक। 2.CEO जिला परिषद् टोंक। 3.राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल मुख्यालय, 4, संस्थानिक क्षेत्र झालाना डूंगरी, जयपुर। 4.क्षेत्रीय कार्यालय वन पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार, ए-218, अरण्यभवन झालाना संस्थानिक क्षेत्र जयपुर।
5.महा प्रबंधक जिला उद्योग केंद्र टोंक। 6.उपखण्ड अधिकारी मालपुरा, जिला टॉक।
7.क्षेत्रीय प्रबंधक रीको, टोंक। 8. ग्राम पंचायत मालपुरा।
9. राजीव गाँधी सेवा केंद्र, ग्राम मालपुरा तहसील मालपुरा, जिला टोंक
10. निर्देशक, पर्यावरण विभाग, कमरा संख्या 8240 द्वितीय तल, उ-प (एसएसओ) भवन, सचिवालय, जयपुर।
11. क्षेत्रीय अधिकारी, राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल बूंदी जिला बूंदी।

अत: सर्वसाधारण को कार्यालय जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट, टोंक के पत्र क्रमांक न्याय / पर्यावरण जनसुवनाई/ 2024/7986 दिनांक 21.08.2024 के क्रम में इस आम सूचना के माध्यम से एतद द्वारा सूचित किया जाता है कि उक्तसमूह खनन परियोजना की पर्यावरणीय स्वीकृति से संबंधित जन सुनवाई हेतु दिनांक 15.10.2024(मगलवार) को दोपहर 12:30 बजे, स्थान पंचायत समिति सभागार मालपुरा तहसील मालपुरा, जिला टोंक में उपस्थित होकर अपने लिखित/मौखिक आक्षेप / सुझाव प्रस्तुत कर सकते है।
साथ ही इस सम्बन्ध में लिखित सुझाव /आपति इस सूचना के प्रकाशन की तिथि से 30 दिवस के अन्दर क्षेत्रीय कार्यालय राजस्थान राज्य प्रदूषण मण्डल, बूंदी जिला बूंदी में दिये जा सकते है। यह आम सूचना वैशिक महामारी कोविड-19 से सम्बंधित केंद्रीय /राज्य सरकार द्वारा समय.समय पर पारित निर्देशों के अनुरूप एवं अधीन रहेगी तथा सभी प्रावधानों/सावधानियों की पालना सुनिश्चित करनी होगी।

(सविता)
क्षेत्रीय अधिकारी

SMFG INDIA CREDIT COMPANY LIMITED

(Formerly Fullerton India Credit Company Limited)

Corporate Office: 10th Floor, Office No. 101,102 & 103, 2 North Avenue, Maker Maxity, Bandra Kurla Complex, Bandra (E), Mumbai - 400051.

POSSESSION NOTICE (For Immovable Property)
(Under Rule 8 (1) of the Security Interest (Enforcement) Rules, 2002)

Whereas the undersigned being the authorized officer of **SMFG India Credit Company Limited** ***(Formerly Fullerton India Credit Company Limited)***, Having its registered office at Megh Towers, 3rd Floor, Old No. 307, New No. 165, Poonamallee High Road Maduravoyal, Chennai, Tamil Nadu-600095 and corporate office at 10th Floor, Office No. 101,102 & 103, 2 North Avenue, Maker Maxity, Bandra Kurla Complex, Bandra (E), Mumbai – 400051, under Securitisation and Reconstruction of Financial Assets and Enforcement of Security Interest Act, 2002 (54 of 2002), and in exercise of powers conferred under Section 13 (12) read with Rule 3 of the Security Interest (Enforcement) Rules, 2002 issued Demand Notice dated 18.12.2023 calling upon the borrower(s) **(1) MAHESH SHARMA (2) SUBHASH SHARMA (3) ASHA SHARMA under loan account number (s) # 213820910990109** to repay the amount mentioned in the notice being **22,90,659/- [Rupees Twenty Two Lakhs Ninety Thousand Six Hundred Fifty Nine Only]** within 60 days from the date of receipt of the said notice.

The borrower(s) having failed to repay the amount, notice is hereby given to the borrower(s) and the public in general that undersigned has taken Physical possession of the property described herein below in exercise of powers conferred on him under sub section (4) of section 13 of the Act read with Rule 8 of the Security Interest (Enforcement) Rules, 2002 on this **11 Day of Sep. in the year 2024**.

The borrower in particular and the public in general are hereby cautioned not to deal with the property and any dealings with the property will be subject to the Charge of SMFG India Credit Company Limited *(Formerly Fullerton India Credit Company Limited)* for an amount of **22,90,659/- [Rupees Twenty Two Lakhs Ninety Thousand Six Hundred Fifty Nine Only]** and interest thereon.

The borrower's attention is invited to provisions of sub-section (8) of section 13 of the Act, in respect of time available, to redeem the secured assets.

Description Of Immovable Property: ALL THE PIECE AND PARCEL OF IMMOVABLE PROPERTY SITUATED SHOP NO. 10, LAXMI NAGAR, SODLA HATWARA ROAD, JAIPUR, RAJASTAN ADMEASURING – 96.66 SQ.YD. IN AFTER REFERRED TO AS PROPERTY FOUR CORNERS: EAST - ROAD, WEST - SHOP NO.-09, NORTH - SHOP NO.-01, SOUTH - PARK

Place: Jaipur Date: 12.09.2024 SD/-, Authorised Officer,
SMFG India Credit Company Limited *(Formerly Fullerton India Credit Co. Ltd.)*

TATA CAPITAL LIMITED

Regd. Office: 11th Floor, Tower A, Peninsula Business Park, Ganpatrao Kadam Marg, Lower Parel, Mumbai-400013.

POSSESSION NOTICE (FOR IMMOVABLE PROPERTY)
(As per Appendix IV read with Rule 8(1) of the Security Interest Enforcement Rules, 2002)

This is to inform that **Tata Capital Financial Services Ltd. (TCFSL)** is a non-banking finance company and incorporated under the provisions of the Companies Act, 1956 and

---

MUNICIPAL COUNCIL SHAHADA
Dist. NANDURBAR
e-TENDER NOTICE for 2024-2025

Shahada Municipal Council invites e-Tender for the work of Augmentation to Shahada Water Supply Scheme, Tal. Shahada, Dist. Nandurbar in the State of Maharashtra of Estimated Cost Rs. 55,95,49,056.00. The e-Tender details are available on www.mahatenders.gov.in. All relevant dates will be as per the tender published in web portal-www.mahatenders.gov.in

(Sd/-) **Chief Officer,**
Shahada Municipal Council

Date 12/09/2024

क्षेत्रीय कार्यालय राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल
प्लॉट नं डी-15, ईश्वरी फ्रूट गार्डन के पास, न्यू कॉलोनी,
बूंदी ई-मेल: rorpcb.bundi@gmail.com

Date:21.08.2024

RPCB/RO BUNDI/PUB-100/859

पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु लोक सुनवाई के लिए आम सूचना

विषय:मैसर्स श्री बालाजी ग्रेनाइटस, रेफरेंस संख्या 20221000067066, निकट ग्राम बाछेरा, तहसील मालपुरा, जिला टोंक द्वारा प्रस्तावित ग्रेनाइट स्टोन माइनिंग परियोजना हेतु पर्यावरण स्वीकृति के लिए लोक सुनवाई।

1. सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि ग्रेनाइट स्टोन माइनिंग प्रोजेक्ट (रेफरेंस संख्या 20221000067066), कुल क्लस्टर क्षेत्र 6.4991 हेक्टेयर," आवेदक मैसर्स श्री बालाजी ग्रेनाइटस द्वारा प्रस्तावित ग्रेनाइट स्टोन माइनिंग परियोजना है जिसका खनन क्षेत्र 2.3843 हैक्टयर है तथा प्रस्तावित उत्पादन क्षमता 285768 टीपीए (रोम), जो कि रेफरेंस संख्या 20221000067066, निकट ग्राम बाछेरा, तहसील मालपुरा, जिला टोंक में स्थित है से संबंधित प्रार्थना पत्र मय दस्तावेज पर्यावरणीय स्वीकृति से पूर्व आवश्यक समूह खनन परियोजना लोक सुनवाई हेतु हेतु प्रस्ताव राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल (यहाँ तथा बाद में मण्डल के नाम से अभिलिखित) को प्रस्तुत किया गया है।

2. और चूंकि मैसर्स श्री बालाजी ग्रेनाइटस, ने राजस्थान ने राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल को उक्त परियोजना की पर्यावरणीय स्वीकुति से पूर्व आवश्यक समूह खनन परियोजना की लोक सुनवाई हेतु मण्डल को आवेदन प्रस्तुत किया है। उक्तपरियोजना हेतु वन एवं पर्यावरण मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली द्वारा जारी अधिसूचना संख्या एस. ओ.1533 दिनांक 14.09.2006 ओर एस.ओ. 141 ई दिनांक 15.01.2016 के प्रावधानों के अनुसरण में जन सुनवाई हेतु इस आशय की सूचना जारी कर 30 दिवस का नोटिस दिया जाना आवश्यक है।

3.उक्तपरियोजना से सम्बंधित संक्षिप्त अभिलेख (कार्यकारी सारांश) एवं संक्षितप कार्यपालक सार अभिलेख निम्न कार्यालयों में अवलोक नार्थ उपलब्ध है.

1. जिला कलक्टर, टोंक। 2.CEO जिला परिषद् टोंक। 3.राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल मुख्यालय, 4, संस्थानिक क्षेत्र झालाना डूंगरी, जयपुर। 4.क्षेत्रीय कार्यालय वन पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार, ए-218, अरण्यभवन झालाना संस्थानिक क्षेत्र जयपुर।
5.महा प्रबंधक जिला उद्योग केंद्र टोंक। 6.उपखण्ड अधिकारी मालपुरा, जिला टोंक।
7.क्षेत्रीय प्रबंधक रीको, टोंक। 8. ग्राम पंचायत मालपुरा।
9. राजीव गाँधी सेवा केंद्र, ग्राम मालपुरा तहसील मालपुरा, जिला टोंक
10. निर्देशक, पर्यावरण विभाग, कमरा संख्या 8240 द्वितीय तल, उ-प (एसएसओ) भवन, सचिवालय, जयपुर।
11. क्षेत्रीय अधिकारी, राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल बूंदी जिला बूंदी।

अत: सर्वसाधारण को कार्यालय जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट, टोंक के पत्र क्रमांक न्याय / पर्यावरण जनसुवनाई/ 2024/7986 दिनांक 21.08.2024 के क्रम में इस आम सूचना के माध्यम से एतद द्वारा सूचित किया जाता है कि उक्तसमूह खनन परियोजना की पर्यावरणीय स्वीकृति से संबंधित जन सुनवाई हेतु दिनांक 15.10.2024(मगलवार) को दोपहर 12:00 बजे, स्थान -पंचायत समिति सभागार, मालपुरा, तहसील मालपुरा, जिला. टोंक में उपस्थित होकर अपने लिखित/मौखिक आक्षेप / सुझाव प्रस्तुत कर सकते है।
साथ ही इस सम्बन्ध में लिखित सुझाव /आपति इस सूचना के प्रकाशन की तिथि से 30 दिवस के अन्दर क्षेत्रीय कार्यालय राजस्थान राज्य प्रदूषण मण्डल, बूंदी जिला बूंदी में दिये जा सकते है। यह आम सूचना वैशिक महामारी कोविड-19 से सम्बंधित केंद्रीय /राज्य सरकार द्वारा समय.समय पर पारित निर्देशों के अनुरूप एवं अधीन रहेगी तथा सभी प्रावधानों/सावधानियों की पालना सुनिश्चित करनी होगी।

(सविता)
क्षेत्रीय अधिकारी

BANGALORE WATER SUPPLY AND

INVITATION FOR TENDER (Only thre

BWSSB invites TENDERS in Two Stage Tender System from registered

Office of the Chief Engineer (North), 2nd Floor, Cauvery Bhava

Sl. No.	Name of the Works
	IFT No.: BWSSB/EIC/CE(N)/ACE(N)-I/DCE(M)-II/TA(N)/3772/2024-25
1	Providing and laying 300mm dia RCC NP3 sewer-line to facilitate wh (a) from Airforce Junction to Nagashettihalli Busstop via Sanjaynagar by connecting all sub-crosses laterals coming under Sanjaynag station, (b) from Hebbal Flyover to Nagashettihalli junction of Bho main road by connecting all sub-crosses laterals coming under Sa Service station, (c) Jayamahal road TV tower to Tagor circle con Jayamahal Service station, (d) Platform road from T-junction on Va road to Mantri mall coming under Kumarapark Service station, (e) from Sampige road Big bazaar junction to Sheshadripuram main road co Kumara Park Service station, (f) Subedar chatram road to Rajivga coming under Kumara Park Service station of AEE NE-2 Sub-division -
	IFT No.: BWSSB/EIC/CE(N)/ACE(N)-I/DCE(M)-II/TA(N)/3771/2024-25

यूको बैंक UCO BANK

सम्मान आपके विश्वास का — HONOURS YOUR TRUST

NOTICE INVITING TENDER FOR ELECTRIC AUDIT OF BRANCHES & ATMS

Sealed bids are invited from valid degree/ license holder's electric engineers/auditors for doing electric safety audit in branches & ATMs under UCO Bank, Zonal Office, Jaipur.Tender documents with detailed terms & conditions can be downloaded from Bank's website www.ucobank.com. Bids should be submitted to UCO Bank, Zonal Office, "Arcade International", 2nd Floor, Civil Lines, Ajmer Road, JAIPUR – 302006 on or before 5 PM, 4th October, 2024. For additional information please contact on 0141 - 2224794.

ZONAL MANAGER

क्षेत्रीय कार्यालय राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल
प्लॉट नं डी-15, ईश्वरी फ्रूट गार्डन के पास, न्यू कॉलोनी,
बूंदी ई-मेल: rorpcb.bundi@gmail.com

LiFE Lifestyle for Environment

RPCB/RO BUNDI/PUB-101/852 Date:21.08.2024

पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु लोक सुनवाई के लिए आम सूचना

विषय:मैससे जय भोले बाबा ग्रेनाइट, रेफरेस संख्या 20221000052261 निकट ग्राम बाछेरा, तहसील मालपुरा, जिला टोंक द्वारा प्रस्तावित ग्रेनाइट स्टोन माइनिंग परियोजना हेतु पयर्यावरण स्वीकृति के लिए लोक सुनवाई।

1.सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि ग्रेनाइट स्टोन माइनिंग प्रोजेक्ट (रेफरेस संख्या 20221000052261), कुल क्लस्टर क्षेत्र 6.4991 हेक्टेयर, आवेदक मैससे जय भोले बाबा ग्रेनाइट द्वारा प्रस्तावित ग्रेनाइट स्टोन माइनिंग परियोजना है जिसका खनन क्षेत्र 1.1746 हैक्टयर है तथा प्रस्तावित उत्पादन क्षमता 123648 टीपीए (रोम), जो कि रेफरेस संख्या 20221000052261 निकट ग्राम बाछेरा, तहसील मालपुरा, जिला टोंक में स्थित है। से संबंधित प्रार्थना पत्र मय दस्तावेज पर्यावरणीय स्वीकृति से पूर्व आवश्यक समूह खनन परियोजना लोक सुनवाई हेतु हेतु प्रस्ताव राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल (यहाँ तथा बाद में मण्डल के नाम से अभिलिखित) को प्रस्तुत किया गया है।

2. और चूंकि मैससे जय भोले बाबा ग्रेनाइट, ने राजस्थान ने राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल को उक्त परियोजना की पर्यावरणीय स्वीकुति से पूर्व आवश्यक समूह खनन परियोजना की लोक सुनवाई हेतु मण्डल को आवेदन प्रस्तुत किया है। उक्तपरियोजना हेतु वन एवं पर्यावरण मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली द्वारा जारी अधिसूचना संख्या एस. ओ.1533 दिनांक 14.09.2006 ओर एस.ओ. 141 ई दिनांक 15.01.2016 के प्रावधानों के अनुसरण में जन सुनवाई हेतु इस आशय की सूचना जारी कर 30 दिवस का नोटिस दिया जाना आवश्यक है।

3.उक्तपरियोजना से सम्बंधित संक्षिप्त अभिलेख (कार्यकारी सारांश) एवं संक्षिलप कार्यपालक भार अभिलेख निम्न कार्यालयों में अवलोक नार्थ उपलब्ध है.

1. जिला कलक्टर, टोंक। 2.CEO जिला परिषद् टोंक। 3.राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल मुख्यालय, 4, संस्थानिक क्षेत्र झालाना डूंगरी, जयपुर। 4.क्षेत्रीय कार्यालय वन पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार,ए-218, अरण्यभवन झालाना संस्थानिक क्षेत्र जयपुर।
5.महा प्रबंधक जिला उद्योग केंद्र टोंक। 6.उपखण्ड अधिकारी मालपुरा, जिला टोंक।
7.क्षेत्रीय प्रबंधक रीको, टोंक। 8. ग्राम पंचायत मालपुरा।
9. राजीव गाँधी सेवा केंद्र, ग्राम मालपुरा तहसील मालपुरा, जिला टोंक
10. निर्देशक, पर्यावरण विभाग, कमरा संख्या 8240 द्वितीय तल, उ-प (एसएसओ) भवन, सचिवालय, जयपुर।
11. क्षेत्रीय अधिकारी, राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल बूंदी जिला बूंदी।

अत: सर्वसाधारण को कार्यालय जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट, टोंक के पत्र क्रमांक न्याय / पर्यावरण जनसुवनाई/ 2024/7986 दिनांक 21.08.2024 के क्रम में इस आम सूचना के माध्यम से एतद द्वारा सूचित किया जाता है कि उक्तसमूह खनन परियोजना की पर्यावरणीय स्वीकृति से संबंधित जन सुनवाई हेतु दिनांक 15.10.2024 (मगलवार) को प्रात:11:30 बजे, स्थान -पंचायत समिति सभागार, मालपुरा, तहसील मालपुरा, जिला. टोंक में उपस्थित होकर अपने लिखित/मौखिक आक्षेप / सुझाव प्रस्तुत कर सकते है। साथ ही इस सम्बन्ध में लिखित सुझाव /आपति इस सूचना के प्रकाशन की तिथि से 30 दिवस के अन्दर क्षेत्रीय कार्यालय राजस्थान राज्य प्रदूषण मण्डल, बूंदी जिला बूंदी में दिये जा सकते है। यह आम सूचना वैशिक महामारी कोविड-19 से सम्बंधित केंद्रीय /राज्य सरकार द्वारा समय.समय पर पारित निर्देशों के अनुरूप एवं अधीन रहेगी तथा सभी प्रावधानों/सावधानियों की पालना सुनिश्चित करनी होगी।

(सविता)
क्षेत्रीय अधिकारी

PUNJAB STATE POWER CORPORA...

PSPCL

(Regd. Office : PSEB Head Office The Mall, Pa...
Corporate Identity Number U40109PB2010SGC...
Website : www.pspcl.in Mobile No. 96461...

E-Tender Enq No. 566/P-3/EMPW-12809 Dated...

Dy. Chief Engineer/Headquarter (Procurement Cell-03) GGSSTP... invites **E-Tender ID No. 2024_POWER_126984_1** Break-down maintenance & Overhauling of Bowl Mills (i.e. XRP-803 and HP-803), ... Feeders, mill reject system & its auxiliaries, preventive/breakdown main... of coal pipes, removal/ clearing of mills reject, raw coal/coal dust from ... R.C.Feeders areas; transportation of mill reject, coal dust etc. from mill are... CHP yard for four units i.e.4x210MW (Unit no: 3 to 6) of BHEL make at GGSSTP, Rupnagar.

For detailed NIT and Tender Specification please refer to **https://eproc.punjab.gov.in** from dated 11.09.2024/01:00 PM onwards.

NOTE: Corrigendum and addendum, if any will be published online at **https://eproc.punjab.gov.in**

No. 37576/PSPCL RTP 109/24

RELIANCE

Reliance Asset Reconstruction Company Ltd.(RARC 077 Trust)
Address : 11th Floor, North Side, R-Tech Park,
Western Express Highway, Goregoan (East), Mumbai 400063
9079938140

APPENDIX-IV [See rule-8(1)] POSSESSION NOTICE (For Immovable property)

Whereas, The undersigned being the Authorized officer of **Reliance Asset Reconstruction Company Limited**,under the Securitization and Reconstruction of Financial Assets and Enforcement of Security Interest Act 2002. and in exercise of Powers conferred upon me under section 13(12) read with rule 3 of the Security Interest (Enforcement) Rules 2002, issued a Demand Notice Dated 23.09.2023in respect of Loan Account bearing No. **3877/RARCBFL0000671765** calling upon the Borrowers, Mortgagors, Co-Borrowers &Guarantors :-**Mr. Gopal Lal Meena S/O Nanda Ram Meena, Mrs. Sanju Meena W/O Gopal Lal Meena, & Mr. Arjun Lal Meena S/O Panchu Ram** to repay the amount mentioned in the notice being **Rs.10,16,927/- (Rupees Ten Lac Sixteen Thousand Nine Hundred Twenty Seven Only)togetherwith interest from 23.09.2023** within 60 days from the date of receipt of the said notice. The Borrower and guarantors mentioned herein above have failed to repay the said amount towards the bearing No. **3777/RARCBFL0000671765.** The said loan account along with its underlying securities( ), including the Immovable Property had been acquired by Reliance Asset Reconstruction Company Limited acting as Trustee of RARC 077 Trust from **Baid Finserv Limited (Formerly known as Baid Leasing And Finance Co. Ltd.)** ("Assigner") in terms of section 5 of the SARSAESI Act 2002.

The Borrowers, Mortgagors, Co-Borrowers & Guarantors mentioned herein above having failed to repay the amount, notice is hereby given to the Borrower/Guarantor and the public in general that the undersigned has taken **Physical Possession** of the property described herein below in exercise of powers conferred on him/her under Sub Section (4) of Section 13 of the said Act read with Rule 8 of Security interest (Enforcement) Rules, 2002 on **06/09/2024.**

The Borrower/Guarantor attention is invited to provisions of sub-section (8) of section 13 of the Act, in Respect of time available to redeem the secured assets.

The Borrowers, Mortgagors, Co-Borrowers & Guarantors mentioned herein above in particular and the public in general is hereby cautioned not to deal with the property/properties and any dealings with the property/properties will be subject to the charge of the Reliance Asset Reconstruction Company Limited for an amount of **Rs.10,16,927/- (Rupees Ten Lac Sixteen Thousand Nine Hundred Twenty Seven Only)as on 23.09.2023 towards the LAN- 3777/RARCBFL0000671765** along with interest charges till its realization.

Description of immovable property

All that part and parcel of the Property's consisting of Property Patta No-18, Misal No-11, Gram- Sursinghpura, Th-Phulera, Dist-Jaipur, Rajasthan, admeasuring 262.22Sq. Yardsin the name of Gopal Lal Meena S/O Nanda Ram Meena Bounded: - On the North by:House of Ghisa Ram & Ramdev Meena,On the South by:House of Mool Chand Meena & Chiter Meena On the East by :Land Of Shyopal & Ramdev Meena On the West by:Common Road

Date: 06.09.2024
Place: Sursinghpura,Phulera

Authorized Officer
Reliance Asset Reconstruction Company Limited
Trustee of RARC 077 Trust

...ND SEWERAGE BOARD

...y through KPP portal)

...stered agencies for the following works.

...havan, K.G. Road, Bangalore-09

	Amount put to Tender
	EMD Amount
...24-25	Date: 10.09.2024
...ate white topping ...agar main road ...ynagar Service ...f Bhoopasandra ...der Sanjaynagar ...e coming under	₹ 363.12 lakhs
...on Vatal Nagaraj ...ion, (e) Link road ...ad coming under ...Rajivgandhi circle ...-2nd Call.	₹ 5.45 lakhs

Date: 10.09.2024

RELIANCE

Reliance Asset Reconstruction Company Ltd.(RARC 077 Trust)
Address : 11th Floor, North Side, R-Tech Park,
Western Express Highway, Goregoan (East), Mumbai 400063
9079938140

APPENDIX-IV [See rule-8(1)] POSSESSION NOTICE (For Immovable property)

Whereas, The undersigned being the Authorized officer of **Reliance Asset Reconstruction Company Limited,** under the Securitization and Reconstruction of Financial Assets and Enforcement of Security Interest Act 2002. and in exercise of Powers conferred upon me under section 13(12) read with rule 3 of the Security Interest (Enforcement) Rules 2002, issued a Demand Notice Dated 29.09.2023in respect of Loan Account bearing No. **3778/RARCBFL0000671761** calling upon the Borrowers, Mortgagors, Co-Borrowers & Guarantors :-**Mr. Arjun Lal Meena S/O Panchu Ram, Mrs. Sushila Devi W/O Arjun Lal Meena & Mr. Gopal Lal Meena S/O Nanda Ram** to repay the amount mentioned in the notice being **Rs.9,25,086/- (Rupees Nine Lac Twenty Five Thousand Eighty Six Only) together with interest from 23.09.2023** within 60 days from the date of receipt of the said notice. The Borrower and guarantors mentioned herein above have failed to repay the said amount towards the bearing No. **3778/RARCBFL0000671761.** The said loan account along with its underlying securities( ), including the Immovable Property had been acquired by Reliance Asset Reconstruction Company Limited acting as Trustee of RARC 077 Trust from **Baid Finserv Limited (Formerly known as Baid Leasing And Finance Co. Ltd.)** ("Assigner") in terms of section 5 of the SARSAESI Act 2002.

The Borrowers, Mortgagors, Co-Borrowers & Guarantors mentioned herein above having failed to repay the amount, notice is hereby given to the Borrower/Guarantor and the public in general that the undersigned has taken **Physical Possession** of the property described herein below in exercise of powers conferred on him/her under Sub Section (4) of Section 13 of the said Act read with Rule 8 of Security interest (Enforcement) Rules, 2002 on **06/092024.**

The Borrower/Guarantor attention is invited to provisions of sub-section (8) of section 13 of the Act, in Respect of time available to redeem the secured assets.

The Borrowers, Mortgagors, Co-Borrowers & Guarantors mentioned herein above in particular and the public in general is hereby cautioned not to deal with the property/properties and any dealings with the property/properties will be subject to the charge of the Reliance Asset Reconstruction Company Limited for an amount of **9,25,086/- (Rupees Nine Lac Twenty Five Thousand Eighty Six Only)as on 23.09.2023towards the LAN - 3778/RARCBFL0000671761** along with interest charges till its realization

Description of immovable property

All that part and parcel of the Property'sconsisting of Property Patta No-01, Misal No-017/2016-17, Gram- Sursinghpura, Th-Phulera, Dist-Jaipur, Rajasthan, admeasuring 166.22 Sq. Yardsin the name of Arjun Lal Meena Bounded: - On the North by:House of Sundaram Meena,On the South by:Common Chowk
On the East by:House of Suresh S/o Bhanwar Lal Meena, On the West by:Common Road

Date: 06.09.2024

Authorized Officer
Reliance Asset Reconstruction Company Limited

---

indianexpress.com

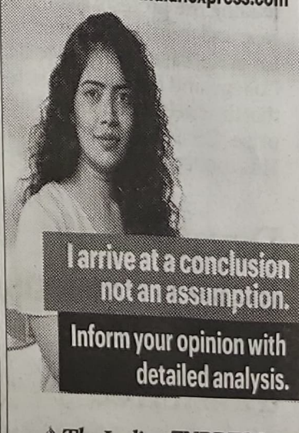

The Indian EXPRESS
— JOURNALISM OF COURAGE —

"IMPORTANT"

Whilst care is taken prior to acceptance of advertising

जयपुर।
11. क्षेत्रीय अधिकारी, राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल बूंदी जिला बूंदी।
अतः सर्वसाधारण को कार्यालय जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट, टोंक के पत्र क्रमांक न्याय / पर्यावरण जनसुनवाई/ 2024/7986 दिनांक 21.08.2024 के क्रम में इस आम सूचना के माध्यम से एतद द्वारा सूचित किया जाता है कि उक्तसमूह खनन परियोजना की पर्यावरणीय स्वीकृति से संबंधित जन सुनवाई हेतु दिनांक 15.10.2024(मगलवार) को दोपहर 12:00 बजे, स्थान -पंचायत समिति सभागार, मालपुरा, तहसील मालपुरा, जिला. टोंक में उपस्थित होकर अपने लिखित/मौखिक आक्षेप / सुझाव प्रस्तुत कर सकते है।
साथ ही इस सम्बन्ध में लिखित सुझाव /आपति इस सूचना के प्रकाशन की तिथि से 30 दिवस के अन्दर क्षेत्रीय कार्यालय राजस्थान राज्य प्रदूषण मण्डल, बूंदी जिला बूंदी में दिये जा सकते है। यह आम सूचना वैशिक महामारी कोविड-19 से सम्बंधित केंद्रीय /राज्य सरकार द्वारा समय.समय पर पारित निर्देशों के अनुरूप एवं अधीन रहेगी तथा सभी प्रावधानों/सावधानियों की पालना सुनिश्चित करनी होगी।

(सविता)
क्षेत्रीय अधिकारी

Date:21.08.2024

क्षेत्रीय कार्यालय राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल
प्लॉट नं डी-15, ईश्वरी फ्रूट गार्डन के पास, न्यू कॉलोनी,
बूंदी ई-मेल: rorpcb.bundi@gmail.com

RPCB/RO BUNDI/PUB-119/902

Date:22.08.2024

पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु लोक सुनवाई के लिए आम सूचना

विषयः मैसर्स श्री सिंधोलिया माताजी ग्रेनाइट रेफरेंस संख्या 20231000084574, निकट ग्राम रुपाहेली, तहसील मालपुरा, जिला टोंक द्वारा प्रस्तावित ग्रेनाइट स्टोन माइनिंग परियोजना हेतु पर्यावरण स्वीकृति के लिए लोक सुनवाई।

1. सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि ग्रेनाइट स्टोन माइनिंग प्रोजेक्ट (रेफरेंस संख्या 20231000084574), कुल क्लस्टर क्षेत्र 13.1090 हेक्टेयर, ''आवेदक मैसर्स श्री सिंधोलिया माताजी ग्रेनाइट द्वारा प्रस्तावित ग्रेनाइट स्टोन माइनिंग परियोजना है जिसका खनन क्षेत्र 1.002 हैक्टयर है तथा प्रस्तावित उत्पादन क्षमता 147336 टीपीए (रोम), जो कि रेफरेंस संख्या 20231000084574, निकट ग्राम रूपाहेली, तहसील मालपुरा, जिला टोंक में स्थित है से संबंधित प्रार्थना पत्र मय दस्तावेज पर्यावरणीय स्वीकृति से पूर्व आवश्यक समूह खनन परियोजना लोक सुनवाई हेतु हेतु प्रस्ताव राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल (यहाँ तथा बाद में मण्डल के नाम से अभिलिखित) को प्रस्तुत किया गया है।

2. और चूंकि मैसर्स श्री सिंधोलिया माताजी ग्रेनाइट, ने राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल को उक्त परियोजना की पर्यावरणीय स्वीकृति से पूर्व आवश्यक समूह खनन परियोजना की लोक सुनवाई हेतु मण्डल को आवेदन प्रस्तुत किया है। उक्तपरियोजना हेतु वन एवं पर्यावरण मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली द्वारा जारी अधिसूचना संख्या एस. ओ.1533 दिनांक 14.09.2006 ओर एस.ओ. 141 ई दिनांक 15.01.2016 के प्रा के अनुसरण में जन सुनवाई हेतु इस आशय की सूचना जारी कर 30 दिवस का नोटिस दिया जाना आवश्यक 2

3.उक्तपरियोजना से सम्बंधित संक्षिप्त अभिलेख (कार्यकारी सारांश) एवं संक्षिलप कार्यपालक भार अभिलेख निम्न कार्यालयों में अवलोक नार्थ उपलब्ध है.

1. जिला कलक्टर, टोंक। 2.CEO जिला परिषद् टोंक। 3.राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल मुख्यालय, 4, संस्थानिक क्षेत्र झालाना डूंगरी, जयपुर। 4.क्षेत्रीय कार्यालय वन पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार, ए-218, अरण्यभवन झालाना संस्थानिक क्षेत्र जयपुर।
5.महा प्रबंधक जिला उद्योग केंद्र टोंक। 6.उपखण्ड अधिकारी मालपुरा, जिला टोंक।
7.क्षेत्रीय प्रबंधक रीको, टोंक। 8. ग्राम पंचायत मालपुरा।
9. राजीव गाँधी सेवा केंद्र, ग्राम मालपुरा तहसील मालपुरा, जिला टोंक
10. निर्देशक, पर्यावरण विभाग, कमरा संख्या 8240 द्वितीय तल, उ-प (एसएसओ) भवन, सचिवालय, जयपुर।
11. क्षेत्रीय अधिकारी, राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल बूंदी जिला बूंदी।

अतः सर्वसाधारण को कार्यालय जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट, टोंक के पत्र क्रमांक न्याय / पर्यावरण जनसुनवाई/ 2024/7986 दिनांक 21.08.2024 के क्रम में इस आम सूचना के माध्यम से एतद द्वारा सूचित किया जाता है कि उक्तसमूह खनन परियोजना की पर्यावरणीय स्वीकृति से संबंधित जन सुनवाई हेतु दिनांक 15.10.2024(मगलवार) को दोपहर 12:30 बजे, स्थान पंचायत समिति सभागार मालपुरा तहसील मालपुरा, जिला टोंक में उपस्थित होकर अपने लिखित/मौखिक आक्षेप / सुझाव प्रस्तुत कर सकते है।
साथ ही इस सम्बन्ध में लिखित सुझाव /आपति इस सूचना के प्रकाशन की तिथि से 30 दिवस के अन्दर क्षेत्रीय कार्यालय राजस्थान राज्य प्रदूषण मण्डल, बूंदी जिला बूंदी में दिये जा सकते है। यह आम सूचना वैशिक महामारी कोविड-19 से सम्बंधित केंद्रीय /राज्य सरकार द्वारा समय.समय पर पारित निर्देशों के अनुरूप एवं अधीन रहेगी तथा सभी प्रावधानों/सावधानियों की पालना सुनिश्चित करनी होगी।

(सविता)
क्षेत्रीय अधिकारी

Scanned with OKEN Scanner

के माध्यम से सभी की जिंदगी को और भी बेहतर बनाएं। यह ए.सी रिमोट विशेष रूप से दृष्टिहीनों के लिए डिज़ाइन किया गया है, जिससे सभी लोग आसानी से सुकून भरा वक्त बिता सकें। रिमोट में ब्रेल को शामिल कर, हम अपने सभी ग्राहकों को इसका लाभ प्रदान करना चाहते हैं। साथ ही इस प्रोडक्ट के साथ हम लोगों की जिंदगी आसान बनाने की अपनी कोशिश की दिशा में एक कदम बढ़ा रहे हैं। लॉन्च के बारे में बात करते हुए, श्री संजय चितकारा, सीनियर वीपी होम अप्लायंसेस एवं एयर कंडीशनर, एलजी इलेक्ट्रॉनिक्स इंडिया ने कहा, एलजी में, हमारा मानना है कि इनोवेशन सभी के लिए सुलभ होना चाहिए।

भारत के पैसेंजर व्हीकल सेगमेंट में पहली बार, जेएसडब्ल्यू एमजी मोटर इंडिया अपने बैटरी एज ए सर्विस (BaaS) पेशकश के साथ एक अभिनव ओनरशिप प्लान को पेश कर रही है, जो एक मैनुअल कॉम्पैक्ट एसयूवी की कीमत पर फुल-साइज कैपेबल इलेक्ट्रिक सीयूवी को खरीदना संभव बनाता है। यह लचीला ओनरशिप प्रोग्राम बैटरी की अग्रिम लागत को खत्म करता है, जिससे ग्राहक केवल इसके उपयोग के लिए रही है। एमजी ऐप द्वारा eHUB के साथ, कंपनी एक साल के लिए मुफ्त सार्वजनिक चार्जिंग की पेशकश कर रही है, जिससे विंडसर ओनर के लिए कभी भी, कहीं भी चार्ज करना पहले से कहीं ज्यादा आसान होगा। जेएसडब्ल्यू एमजी मोटर इंडिया ने विंडसर के लिए 3-60 सुनिश्चित बायबैक प्लान की भी पेशकश की है, जो यह सुनिश्चित करता है कि 3 साल बाद या 45,000 किलोमीटर के बाद इसकी 60 प्रतिशत वैल्यू हासिल की मनोरंजन और स्मार्ट कनेक्टिविटी फीचर्स देता है।

एमजी के ग्लोबल स्मार्ट इलेक्ट्रिक प्लेटफॉर्म, जो अपनी विश्वसनीयता के लिए प्रसिद्ध है, पर निर्मित एमजी विंडसर में एक शक्तिशाली पीएमएस मोटर है, जो आईपी67 सर्टिफाइड है। 38 kWh ली-आयन बैटरी पैक और 4 ड्राइविंग मोड्स (Eco+, Eco, Normal और Sport) जो 100KW (136ps) की पावर और 200Nm का इंस्टैंट टॉर्क प्रदान करता है,

...ल्टे-दुबई के शीर्ष ...स और होटल्स

...ता के लिए प्रसिद्ध है, और इसके शीर्ष रिसॉर्ट और ...हैं। महलनुमा डिज़ाइन से लेकर प्राचीन समुद्र तटों ...र असाधारण सेवा का एक अलग मिश्रण प्रदान ...में एक अविस्मरणीय अनुभव सुनिश्चित करता है। ...लायन की तलाश में हों या एक ग्लैमरस समुद्र तट ...री आवास अत्यधिक विलासिता का वादा करते ...रेगिस्तान रिसॉर्ट, अल कुद्रा रोड, एंड्योरेंस सिटी ...नी रब, बाब अल शम्स हरे-भरे बगीचों और अरब ...-अनुकूल मनोरंजन प्रदान करता है। हाल ही में ...आकर्षण को बनाए रखते हुए एक ताज़ा, आधुनिक ...में रेत के नज़ारों वाले शानदार स्विमिंग पूल, ...पि अनवा सहित नए भोजन स्थल और रेगिस्तान ...र डिस्कवरीज है। जुमेरा अल कसर, जुमेरा अल ...3- 2023 गोल्ड लिस्ट में शामिल, जुमेरा अल ...ब की विलासिता का प्रतीक है। जुमेरा के मल्टी-...र अरब के स्तंभों और मशराबिया जालीदार काम ...ड़ के पेड़ों से सजे परिदृश्य और दुबई के क्षितिज ...अनुभव देते हैं। वन एंड ओनली रॉयल मिराज, ...ज अल सऊद सेंट, दुबई मरीना एक शांत ...वार्ड विजेता हर मोड़ पर विलासिता प्रदान करता ...सुसज्जित कमरे तक। एक्वा डि पर्मा उत्पादों से ...ल को और भी बेहतर बनाते हैं।

क्षेत्रीय कार्यालय राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल
प्लॉट नं डी-15, ईश्वरी फ्रूट गार्डन के पास, न्यू कॉलोनी,
बूंदी ई-मेलः rorpcb.bundi@gmail.com

LiFE Lifestyle for Environment

RPCB/RO BUNDI/PUB-101/852 Date:21.08.2024

पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु लोक सुनवाई के लिए आम सूचना

विषय:मैससे जय भोले बाबा ग्रेनाइट, रेफरेस संख्या 20221000052261 निकट ग्राम बाछेरा, तहसील मालपुरा, जिला टोंक द्वारा प्रस्तावित ग्रेनाइट स्टोन माइनिंग परियोजना हेतु पययावरण स्वीकृति के लिए लोक सुनवाई।

1.सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि ग्रेनाइट स्टोन माइनिंग प्रोजेक्ट (रेफरेस संख्या 20221000052261), कुल क्लस्टर क्षेत्र 6.4991 हेक्टेयर, आवेदक मैससे जय भोले बाबा ग्रेनाइट द्वारा प्रस्तावित ग्रेनाइट स्टोन माइनिंग परियोजना है जिसका खनन क्षेत्र 1.1746 हैक्टयर है तथा प्रस्तावित उत्पादन क्षमता 123648 टीपीए (रोम), जो कि रेफरेस संख्या 20221000052261 निकट ग्राम बाछेरा, तहसील मालपुरा, जिला टोंक में स्थित है। से संबंधित प्रार्थना पत्र मय दस्तावेज पर्यावरणीय स्वीकृति से पूर्व आवश्यक समूह खनन परियोजना लोक सुनवाई हेतु हेतु प्रस्ताव राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल(यहाँ तथा बाद में मण्डल के नाम से अभिलिखित) को प्रस्तुत किया गया है।

2. और चूंकि मैससे जय भोले बाबा ग्रेनाइट, ने राजस्थान ने राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल को उक्त परियोजना की पर्यावरणीय स्वीकुति से पूर्व आवश्यक समूह खनन परियोजना की लोक सुनवाई हेतु मण्डल को आवेदन प्रस्तुत किया है। उक्तपरियोजना हेतु वन एवं पर्यावरण मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली द्वारा जारी अधिसूचना संख्या एस. ओ.1533 दिनांक 14.09.2006 ओर एस.ओ. 141ई दिनांक 15.01.2016 के प्रावधानों के अनुसरण में जन सुनवाई हेतु इस आशय की सूचना जारी कर 30 दिवस का नोटिस दिया जाना आवश्यक है।

3.उक्तपरियोजना से सम्बंधित संक्षिप्त अभिलेख (कार्यकारी सारांश) एवं संक्षिलप कार्यपालक भार अभिलेख निम्न कार्यालयों में अवलोक नार्थ उपलब्ध है.

1. जिला कलक्टर, टोंक। 2.CEO जिला परिषद् टोंक। 3.राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल मुख्यालय, 4, संस्थानिक क्षेत्र झालाना डूंगरी, जयपुर। 4.क्षेत्रीय कार्यालय वन पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार,ए-218, अरण्यभवन झालाना संस्थानिक क्षेत्र जयपुर।
5.महा प्रबंधक जिला उद्योग केंद्र टोंक। 6.उपखण्ड अधिकारी मालपुरा, जिला टोंक।
7.क्षेत्रीय प्रबंधक रीको, टोंक। 8. ग्राम पंचायत मालपुरा।
9. राजीव गाँधी सेवा केंद्र, ग्राम मालपुरा तहसील मालपुरा, जिला टोंक
10. निर्देशक, पर्यावरण विभाग, कमरा संख्या 8240 द्वितीय तल, उ-प (एसएसओ) भवन, सचिवालय, जयपुर।
11. क्षेत्रीय अधिकारी, राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल बूंदी जिला बूंदी।

अत: सर्वसाधारण को कार्यालय जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट, टोंक के पत्र क्रमांक न्याय / पर्यावरण जनसुवनाई/ 2024/7986 दिनांक 21.08.2024 के क्रम में इस आम सूचना के माध्यम से एतद द्वारा सूचित किया जाता है कि उक्तसमूह खनन परियोजना की पर्यावरणीय स्वीकृति से संबंधित जन सुनवाई हेतु दिनांक 15.10.2024(मगलवार) को प्रात:11:30 बजे, स्थान -पंचायत समिति सभागार, मालपुरा, तहसील मालपुरा, जिला. टोंक में उपस्थित होकर अपने लिखित/मौखिक आक्षेप / सुझाव प्रस्तुत कर सकते है।

साथ ही इस सम्बन्ध में लिखित सुझाव /आपति इस सूचना के प्रकाशन की तिथि से 30 दिवस के अन्दर क्षेत्रीय कार्यालय राजस्थान राज्य प्रदूषण मण्डल, बूंदी जिला बूंदी में दिये जा सकते है। यह आम सूचना वैशिक महामारी कोविड-19 से सम्बंधित केंद्रीय /राज्य सरकार द्वारा समय.समय पर पारित निर्देशों के अनुरूप एवं अधीन रहेगी तथा सभी प्रावधानों/सावधानियों की पालना सुनिश्चित करनी होगी।

(सविता)
क्षेत्रीय अधिकारी

जनसुवनाई/ 2024/7986 दिनांक 21.08.2024 ... किया जाता है कि उक्तसमूह खनन परियोजना की ... 10.2024(मगलवार) को दोपहर 12:00 बजे, ... जिला. टोंक में उपस्थित होकर अपने लिखित/मौ... साथ ही इस सम्बन्ध में लिखित सुझाव /आपति इ... कार्यालय राजस्थान राज्य प्रदूषण मण्डल, बूंदी जि... कोविड-19 से सम्बंधित केंद्रीय /राज्य सरकार द्वा... तथा सभी प्रावधानों/सावधानियों की पालना सुनिश्...

क्षेत्रीय कार्यालय राजस्थान ...
प्लॉट नं डी-15, ईश्वरी फ्रूट ...
बूंदी ई-मेलः rorp...

RPCB/RO BUNDI/PUB-119/902

पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु ल...

विषयः मैसर्स श्री सिंधोलिया माताजी ग्रेनाइट रेफ... तहसील मालपुरा, जिला टोंक द्वारा प्रस्तावित ग्रेनाइ... लोक सुनवाई।

1. सर्व साधारण को सूचित किया जाता है ... 20231000084574), कुल क्लस्टर क्षेत्र 13.109... द्वारा प्रस्तावित ग्रेनाइट स्टोन माइनिंग परियोजना है ... क्षमता 147336 टीपीए (रोम), जो कि रेफरेंस सं... मालपुरा, जिला टोंक में स्थित है से संबंधित प्रार्थन... समूह खनन परियोजना लोक सुनवाई हेतु हेतु प्रस्ता... मण्डल के नाम से अभिलिखित) को प्रस्तुत किया ग...

2. और चूंकि मैसर्स श्री सिंधोलिया माताजी ग्रे... परियोजना की पर्यावरणीय स्वीकृति से पूर्व आवश्... आवेदन प्रस्तुत किया है। उक्तपरियोजना हेतु वन ए... अधिसूचना संख्या एस. ओ.1533 दिनांक 14.09.... के अनुसरण में जन सुनवाई हेतु इस आशय की सूच...

3.उक्तपरियोजना से सम्बंधित संक्षिप्त अभिलेख (... निम्न कार्यालयों में अवलोक नार्थ उपलब्ध है.

1. जिला कलक्टर, टोंक। 2.CEO जिला ... मुख्यालय, 4, संस्थानिक क्षेत्र झालाना डूंगरी, ... परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार,ए-218, अरण्...
5.महा प्रबंधक जिला उद्योग केंद्र टोंक। 6.उप...
7.क्षेत्रीय प्रबंधक रीको, टोंक। 8. ग्राम पंच...
9. राजीव गाँधी सेवा केंद्र, ग्राम मालपुरा तहसील...
10. निर्देशक, पर्यावरण विभाग, कमरा संख्... जयपुर।
11. क्षेत्रीय अधिकारी, राजस्थान राज्य प्रदूषण ...

अत: सर्वसाधारण को कार्यालय जिला कलक्... जनसुवनाई/ 2024/7986 दिनांक 21.08.20... किया जाता है कि उक्तसमूह खनन परियोजना ... 10.2024(मगलवार) को दोपहर 12:30 ब... जिला टोंक में उपस्थित होकर अपने लिखित/मौ... साथ ही इस सम्बन्ध में लिखित सुझाव /आपत्ति... कार्यालय राजस्थान राज्य प्रदूषण मण्डल, बूंदी ... कोविड-19 से सम्बंधित केंद्रीय /राज्य सरका... तथा सभी प्रावधानों/सावधानियों की पालना ...

Scanned with OKEN Scanner

समस्याओं को सुनने, लोगों तथा कम्युनिटीज को जागरूक करने, सशक्त बनाने तथा खानपान के बेहतर विकल्पों को चुनने के लिए एक मंच प्रदान करता है। सही स्वास्थ्य पाने के लिए पौष्टिकता से भरपूर खाद्य पदार्थ जैसे बादाम, साबुत अनाज, सब्जियां, फल, फलियां और इस प्रकार की अन्य चीजों से युक्त संतुलित आहार लेना बेहद जरूरी है। बादाम में 15 आवश्यक पोषक तत्व होते हैं, जिनमें विटामिन ई, मैग्नीशियम, प्रोटीन, जिंक, पोटेशियम और आहारीय फाइबर शामिल हैं, जो संपूर्ण स्वास्थ्य को बनाए रखने में मदद करते हैं। इंडियन कौंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च (आईसीएमआर)- नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूट्रीशन (एनआईएन) ने हाल ही में भारतीयों के लिए डाइटरी गाइडलाइन जारी की है। इसमें बताया गया है कि अच्छी सेहत के लिए रोजाना बादाम को नट के रूप में लेना चाहिए। रोजाना बादाम खाने से सेहत को कई सारे फायदे होते हैं जैसे वजन नियंत्रित रहता है, दिल की सेहत बेहतर होती है और ब्लड शुगर का स्तर नियंत्रित रहता है। अपनी फिटनेस की दिनचर्या और आदतों के लिए जानी जाने वाली बॉलीवुड अभिनेत्री सोहा अली खान कहती हैं, मैं सोच-समझकर सेहतमंद खानपान की प्लान करना पसंद है। यदि मैं शूटिंग या इंटरव्यू के लिए बाहर जाती हूं तो मैं अपने साथ हेल्दी स्नैक्स रखना नहीं भूलती जैसे बादाम का बॉक्स। इससे मुझे लंबे समय तक भूख नहीं लगती और मुट्ठीभर बादाम खाने से मुझे अपने रोजाना के पोषण को पूरा करने में भी मदद मिलती है। तो इस राष्ट्रीय पोषण माह में आइए हम खाने की स्वस्थ आदतें अपनाने का संकल्प लें और अपने खाने में बादाम जैसे पौष्टिक फूड्स को शामिल करने की कोशिश करें। राष्ट्रीय पोषण माह पर अपनी बात रखते हुए, रीजनल हेड-डायटेटिक्स, मैक्स हेल्थकेयर, दिल्ली की रितिका समद्दर कहती है।

क्षेत्रीय कार्यालय राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल
प्लॉट नं डी-15, ईश्वरी फ्रूट गार्डन के पास, न्यू कॉलोनी,
बूंदी ई-मेल: rorpcb.bundi@gmail.com

LiFE Lifestyle for Environment

RPCB/RO BUNDI/PUB-100/859 Date:21.08.2024

पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु लोक सुनवाई के लिए आम सूचना

विषय:मैसर्स श्री बालाजी ग्रेनाइटस, रेफरेंस संख्या 20221000067066, निकट ग्राम बाछेरा, तहसील मालपुरा, जिला टोंक द्वारा प्रस्तावित ग्रेनाइट स्टोन माइनिंग परियोजना हेतु पर्यावरण स्वीकृति के लिए लोक सुनवाई।

1. सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि ग्रेनाइट स्टोन माइनिंग प्रोजेक्ट (रेफरेंस संख्या 20221000067066), कुल क्लस्टर क्षेत्र 6.4991 हेक्टेयर," आवेदक मैसर्स श्री बालाजी ग्रेनाइटस द्वारा प्रस्तावित ग्रेनाइट स्टोन माइनिंग परियोजना है जिसका खनन क्षेत्र 2.3843 हैक्टयर है तथा प्रस्तावित उत्पादन क्षमता 285768 टीपीए (रोम), जो कि रेफरेंस संख्या 20221000067066, निकट ग्राम बाछेरा, तहसील मालपुरा, जिला टोंक में स्थित है से संबंधित प्रार्थना पत्र मय दस्तावेज पर्यावरणीय स्वीकृति से पूर्व आवश्यक समूह खनन परियोजना लोक सुनवाई हेतु हेतु प्रस्ताव राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल (यहाँ तथा बाद में मण्डल के नाम से अभिलिखित) को प्रस्तुत किया गया है।

2. और चूंकि मैसर्स श्री बालाजी ग्रेनाइटस, ने राजस्थान ने राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल को उक्त परियोजना की पर्यावरणीय स्वीकृति से पूर्व आवश्यक समूह खनन परियोजना की लोक सुनवाई हेतु मण्डल को आवेदन प्रस्तुत किया है। उक्तपरियोजना हेतु वन एवं पर्यावरण मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली द्वारा जारी अधिसूचना संख्या एस. ओ.1533 दिनांक 14.09.2006 ओर एस.ओ. 141 ई दिनांक 15.01.2016 के प्रावधानों के अनुसरण में जन सुनवाई हेतु इस आशय की सूचना जारी कर 30 दिवस का नोटिस दिया जाना आवश्यक है।

3.उक्तपरियोजना से सम्बंधित संक्षिप्त अभिलेख (कार्यकारी सारांश) एवं संक्षितप कार्यपालक सार अभिलेख निम्न कार्यालयों में अवलोक नार्थ उपलब्ध है.

1. जिला कलक्टर, टोंक। 2.CEO जिला परिषद् टोंक। 3.राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल मुख्यालय, 4, संस्थानिक क्षेत्र झालाना डूंगरी, जयपुर। 4.क्षेत्रीय कार्यालय वन पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार,ए-218, अरण्यभवन झालाना संस्थानिक क्षेत्र जयपुर।
5.महा प्रबंधक जिला उद्योग केंद्र टोंक। 6.उपखण्ड अधिकारी मालपुरा, जिला टोंक।
7.क्षेत्रीय प्रबंधक रीको, टोंक। 8. ग्राम पंचायत मालपुरा।
9. राजीव गाँधी सेवा केंद्र, ग्राम मालपुरा तहसील मालपुरा, जिला टोंक
10. निर्देशक, पर्यावरण विभाग, कमरा संख्या 8240 द्वितीय तल, उ-प (एसएसओ) भवन, सचिवालय, जयपुर।
11. क्षेत्रीय अधिकारी, राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल बूंदी जिला बूंदी।

अत: सर्वसाधारण को कार्यालय जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट, टोंक के पत्र क्रमांक न्याय / पर्यावरण जनसुवनाई/ 2024/7986 दिनांक 21.08.2024 के क्रम में इस आम सूचना के माध्यम से एतद द्वारा सूचित किया जाता है कि उक्तसमूह खनन परियोजना की पर्यावरणीय स्वीकृति से संबंधित जन सुनवाई हेतु दिनांक 15.10.2024 (मगलवार) को दोपहर 12:00 बजे, स्थान -पंचायत समिति सभागार, मालपुरा, तहसील मालपुरा, जिला. टोंक में उपस्थित होकर अपने लिखित/मौखिक आक्षेप / सुझाव प्रस्तुत कर सकते है।
साथ ही इस सम्बन्ध में लिखित सुझाव /आपति इस सूचना के प्रकाशन की तिथि से 30 दिवस के अन्दर क्षेत्रीय कार्यालय राजस्थान राज्य प्रदूषण मण्डल, बूंदी जिला बूंदी में दिये जा सकते है। यह आम सूचना वैशिक महामारी कोविड-19 से सम्बंधित केंद्रीय /राज्य सरकार द्वारा समय.समय पर पारित निर्देशों के अनुरूप एवं अधीन रहेगी तथा सभी प्रावधानों/सावधानियों की पालना सुनिश्चित करनी होगी।

(सविता)
क्षेत्रीय अधिकारी

क्षेत्रीय कार्यालय राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल
प्लॉट नं डी-15, ईश्वरी फ्रूट गार्डन के पास, न्यू कॉलोनी,
बूंदी ई-मेल: rorpcb.bundi@gmail.com

LiFE Lifestyle for Environment

RPCB/RO BUNDI/PUB-119/902 Date:22.08.2024

पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु लोक सुनवाई के लिए आम सूचना

विषय: मैसर्स श्री सिंधोलिया माताजी ग्रेनाइट रेफरेंस संख्या 20231000084574, निकट ग्राम रुपाहेली, तहसील मालपुरा, जिला टोंक द्वारा प्रस्तावित ग्रेनाइट स्टोन माइनिंग परियोजना हेतु पर्यावरण स्वीकृति के लिए लोक सुनवाई।

1. सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि ग्रेनाइट स्टोन माइनिंग प्रोजेक्ट (रेफरेस संख्या 20231000084574), कुल क्लस्टर क्षेत्र 13.1090 हेक्टेयर, ''आवेदक मैसर्स श्री सिंधोलिया माताजी ग्रेनाइट द्वारा प्रस्तावित ग्रेनाइट स्टोन माइनिंग परियोजना है जिसका खनन क्षेत्र 1.002 हैक्टयर है तथा प्रस्तावित उत्पादन क्षमता 147336 टीपीए (रोम), जो कि रेफरेंस संख्या 20231000084574, निकट ग्राम रूपाहेली, तहसील मालपुरा, जिला टोंक में स्थित है से संबंधित प्रार्थना पत्र मय दस्तावेज पर्यावरणीय स्वीकृति से पूर्व आवश्यक समूह खनन परियोजना लोक सुनवाई हेतु हेतु प्रस्ताव राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल (यहाँ तथा बाद में मण्डल के नाम से अभिलिखित) को प्रस्तुत किया गया है।